राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 75/2017

महावीर पुत्र धुड़ाराम जाति खाती उम्र 60 साल निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थी

ब–ना–म

1. लक्ष्मी पत्नी राधेश्याम जाति खाती
2. धुड़ाराम पुत्र नारायण जाति खाती
3. बसन्ती देवी पुत्री रामरख
4. प्रभूदयाल पुत्र रामरख
5. मालीराम पुत्र रामरख
6. नागरमल पुत्र रामरख
7. सांवल पि0 चन्द्रा3
8. सत्यनारायण पुत्र बालूराम
9. निरंजन पुत्र बालूराम
10. रामसिंह पुत्र बालूराम
11. बिरजू पुत्र बालूराम
12. किशोर पुत्र बालूराम
13. राजेन्द्र कुमार पुत्र बालूराम
14. अशोक कुमार पुत्र बालूराम
15. बनवारी पुत्र नारायण
    समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झनूं, राज0
16. सरती देवी पत्नी स्व. जगदीश
17. शीशराम पुत्र जगदीश
18. रणजीत पुत्र जगदीश
19. राजबाला पुत्री जगदीश
20. परमेश्वरी पुत्री जगदीश
21. हजारीलाल पुत्र हनुमान
22. धन्शीराम पुत्र भागूराम
    समस्त जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
23. ग्रामीण बैंक शाखा बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
24. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह – प्रार्थी की ओर से
2. श्री लीलाधर शर्मा – अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 09–04–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि खाता संख्या 86 खसरा नंबर 393 रकबा 0.61 है., ख.नं. 396 रकबा 0.50 है., ख.नं. 397 रकबा 0.22 है., ख.नं. 401 रकबा 2.79 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.12 है. खाता संख्या 87 खसरा नंबर 394 रकबा 0.39 है. भूमि ग्राम माधोगढ़ में स्थित है तथा खाता संख्या 202 खसरा नंबर 778 रकबा 0.20 है., ख.नं. 779 रकबा 0.60 है., ख.नं. 801 रकबा 0.03 है., ख.नं. 802 रकबा 0.29 है., ख.नं. 803 रकबा 0.45 है., ख.नं. 804 रकबा 0.80 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 है. भूमि ग्राम नई कोठी में स्थित है, जिसके मूल खातेदार प्रार्थी के दादा नारायण पुत्र गोपाल थे उसके फौत होने के पश्चात् उसके वारिसान काबिज है। प्रार्थी के दादा के फौत होने के पश्चात् प्रार्थी के पिता धुड़ाराम को उक्त विवादित आराजियात में 1/8 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ है। अर्थात् प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के भाई बहिनों का सम्पूर्ण आराजियात में 1/48 हिस्सा हुआ। प्रार्थी दिल्ली लकड़ी का काम करता है जिसके कारण घर पर आना जाना कम होता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपर्युक्त विवादित आराजियात के हाल खाता संख्या 86, 87, 202 की भूमि दिनांक 28.06.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाली। उक्त विक्रय पत्र प्रार्थी के हक व हिस्से के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्ट्या मामला है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम माधोगढ़ के खाता संख्या 86 खसरा नंबर 393 रकबा 0.61 है., ख.नं. 396 रकबा 0.50 है., ख.नं. 397 रकबा 0.22 है., ख.नं. 401 रकबा 2.79 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.12 है., खाता संख्या 87 खसरा नंबर 394 रकबा 0.39 है. तथा ग्राम नई कोठी स्थित खाता संख्या 202 खसरा नंबर 778 रकबा 0.20 है., ख. नं. 779 रकबा 0.60 है., ख.नं. 801 रकबा 0.03 है., ख.नं. 802 रकबा 0.29 है., ख.नं. 803 रकबा 0.45 है., ख.नं. 804 रकबा 0.80 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 है. भूमि में प्रार्थी के 1/48 हिस्से की भूमि कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नहीं करें व उक्त भूमि को रहन, बेचान आदि नहीं करें। ऐसा ना स्वयं करें एवं ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा था जिसका विक्रय अप्रार्थी सं. 1 को जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2017 को कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त विवादित भूमि खाता सं. 86, 87, 202 में दर्ज अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसका नामांतकरण भी दर्ज हो चुका है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता सं. 87, 86 ग्राम माधोगढ़ खाता सं. 202 ग्राम नई कोठी में विक्रय पत्र से जरिये नामांतकरण सं. 889, 888, [illegible] धूड़ाराम पि0 नाराणा के स्थान पर लक्ष्मी पत्नी राधेश्याम जाति खाती सा.देह खातेदार दर्ज हुआ है। इस प्रकार विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

में अप्रार्थी सं. 2 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अप्रार्थीया सं. 1 के हक में करवाने के पश्चात् खातेदारी अप्रार्थीया सं. 1 के नाम दर्ज हुई। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा अप्रार्थीया सं. 1 विवादित भूमि की रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का उसके हिस्सेनुसार समान अधिकार होता है। अतः किसी भी सहखातेदार के विरूद्ध धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है साथ ही किसी भी सहखातेदार को अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने हेतु अपनी खातेदारी भूमि को रहन/बेचान करने के अधिकार से वंचित करना भी न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी का आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:42:54 IST
Reason: SelfAttested